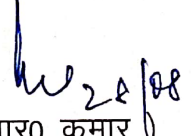


**आदेश**

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली-2015(समय-समय पर यथा संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर प्राधिकृत बोर्ड (चयन समिति) द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक(गोपनीय) को पुलिस निरीक्षक(गोपनीय) के पद पर पदोन्नति हेतु विचारित किया गया। शासनादेश संख्या: 13/21/89-का-1-1997, दिनांक: 28.05.1997 के खण्ड-2(क),(ख),(ग) में अंकित परिस्थितियों विद्यमान होने के कारण विभागीय चयन समिति द्वारा उनके प्रोन्नति चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

| क्र० सं० | वरिष्ठता सूची का क्रमांक | पीएनओ     | नाम              | पिता का नाम   | जन्म तिथि  | नियुक्ति स्थान | मुहर बन्द लिफाफे का चयन वर्ष |
|----------|--------------------------|-----------|------------------|---------------|------------|----------------|------------------------------|
| 1        | 2                        | 3         | 4                | 5             | 6          | 7              | 8                            |
| 1        | 1                        | 942520505 | श्री दिनेश कुमार | स्व० चौथी राम | 05.01.1969 | मऊ/बलिया       | 2020                         |
| 2        | 19                       | 082100012 | श्री संतोष कुमार | श्री राम सजन  | 13.08.1984 | फतेहपुर        | 2023                         |

2- आदेश की प्रति उ०प्र० पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.gov.in> पर प्रदर्शित की जा रही है।

  
( एल०आर० कुमार )  
पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना,  
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर/वाराणसी, जोन।
- 3- पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर/आजमगढ़, परिक्षेत्र।
- 4- पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर/बलिया/मऊ।